राजस्थान सरकार
आयोजना (जनशक्ति) विभाग

-: परिपत्र:-

विषय : पन्द्रह दिन से कम की अवधि के विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण/सेमीनार/स्टेडी टयूर/वर्कशॉप पर नामांकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

पन्द्रह दिन से कम की अवधि के विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण/सेमीनार/स्टेडी टयूर/वर्कशॉप जिनका व्यय भार भारत सरकार, विदेशी सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ उठाती हैं तथा राज्य सरकार को केवल स्थानीय व्यय भार अर्थात जयपुर से दिल्ली जाने का व्यय, एयर पोर्ट टेक्स, वीसा फीस आदि वहन करना है, के लिये नामांकनों को विभागीय सचिव एवं विभागीय मंत्री के स्तर पर अंतिम रुप दिया जा सकेगा । प्रस्तावों को अंतिम रुप देने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि:-

1- प्रस्तावित अधिकारी निर्धारित योग्यताएँ एवं अन्य टर्मस एण्ड कण्डीशन्स पूर्ण करता है।

2- प्रस्तावित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच/प्रारम्भिक जाँच आदि लंबित/प्रस्तावित नहीं है।

3- प्रस्तावित अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट/बहुत अच्छा श्रेणी का है।

4- प्रस्तावित अधिकारी जिस सेवा से संबंधित है उसके प्रशासनिक विभाग एवं संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण/सेमीनार/स्टेडी टयूर/वर्कशॉप पर जाने वाले विभागाध्यक्ष एवं सचिव स्तर के अधिकारी मंत्रीमण्डल सचिवालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे मंत्रीमण्डल की जानकारी हेतु रखा जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर उनसे मंत्रीमण्डल में प्रस्तुतीकरण हेतु कहा जायेगा। अन्य अधिकारी अपनी रिपोर्ट आयोजना (जनशक्ति) विभाग को भिजवायेगें।

(एम.एल. मेहता)
मुख्य सचिव

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विशिष्ठ शासन सचिव।

अ.शा. टीप संख्या: प.5(101)आयो/जश/7/81
जयपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 1996

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री।
3. शासन सचिवालय के समस्त विभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थान के प्रमुख।

बी.ए.पाटनी

(बी.एल. पाटनी)
उप शासन सचिव
आयोजना (जनशक्ति) विभाग